जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हीमपुर दीपा **दिनांकः- 03/12/2025**

थाना हीमपुर दीपा के ग्राम मुकरपुर गुर्जर के में आयोजित साईबर अपराध जागरूकता अभियान के सम्बन्ध में।

आज 03 दिसम्बर-2025 के अंतर्गत थाना हीमपुर दीपा द्वारा **ग्राम मुकरपुर गुर्जर में साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव** के प्रति जागरूक करने हेतु एक व्यापक **साइबर जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों द्वारा उपस्थित लगभग 100-120 स्थानीय नागरिकों को साइबर अपराधों के विभिन्न रूपों, ऑनलाइन ठगी से बचाव, सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं तथा इंटरनेट उपयोग के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

- कार्यक्रम के दौरान उपस्थित **नागरिकों** को फिशिंग, व्हाट्सऐप हैकिंग, सोशल मीडिया फ्रॉड, बैंकिंग/UPI ठगी, फर्जी कॉल एवं लिंक, लॉटरीइनाम धोखाधड़ी/, संदिग्ध एप्लिकेशन, तथा डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तारपूर्वक जागरूक किया गया, साथ ही साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने हेतु राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं www.cybercrime.gov.in पोर्टल की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई।
- कार्यक्रम के दौरान साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्नउत्तर सत्र आयोजित किए गए-, जिसमें उन्हें सुरक्षित पासवर्ड प्रथाओं, OTP/बैंक विवरण साझा न करने, अनजान लिंक पर क्लिक न करने, सोशल मीडिया गोपनीयता सेटिंग्स के महत्व, तथा डिजिटल उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया।
- कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि साइबर अपराध से बचाव में जागरूकता ही सबसे प्रभावी उपाय है, और प्रत्येक नागरिक को स्वयं के साथरक्षा साथ अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी साइबर सु-के प्रति जागरूक करना चाहिए।

कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारीगण कर्मचारीगण का विवरण /–

1- प्र0 नि0 श्री जयभगवान सिंह, थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर।

2- उ0नि0 श्री सुमित कुमार (साइबर प्रभारी), थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर।

3- म0मुख्य आरक्षी 362 संगीता, थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर

4- मिशन शक्ति टीम, थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर।

कार्यक्रम की फोटो

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नूरपुर **दिनांक 03.12.2025**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 288/2025 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.08.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अनुराग दुबे पुत्र आनन्द स्वरूप निवासी काव्या सिटी कालोनी, चिरौरी जनपद गाजियाबाद ,उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 288/2025 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनुराग दुबे पुत्र आनन्द स्वरूप निवासी काव्या सिटी कालोनी, चिरौरी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता -

अनुराग दुबे पुत्र आनन्द स्वरूप निवासी काव्या सिटी कालोनी, चिरौरी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री रजत राणा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 536 सुमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3.म0का0 1241 दिव्या थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ़ दिनाँक 03.12.2025

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने 01 अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.12.2025 की रात्रि में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त मदन उर्फ मददी पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम विजयनगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 347/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मदन उर्फ मददी पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम विजयनगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री रामप्रताप सिंह थानाध्यक्ष अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. का0 2159 आकाश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3. का0 986 कृष्ण राणा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।